न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/ग्वालियर/आ.अ./2017/3944 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-8-2017 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/4444.

ग्वालियर एल्कोब्र् प्रायवेट लिमिटेड (फार्मली ग्वालियर डिस्टलरीज लि.) रायरू फार्म, आगरा मुंबई रोड, ग्वालियर द्वारा जनरल मैनेजर पी.व्ही.मुरलीधरन पुत्र स्व. व्ही.व्ही.एस. नाम्बीशान निवासी रायरू फार्म, ग्वालियर विरूद्ध आबकारी आयुक्त, मोतीमहल म.प्र. ग्वालियर

......अपीलार्थी

......51 गरग पा

.....प्रत्यर्थ

श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श :: (आज दिनांक 15/11/18 को पारित)

अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)-सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/4444 में पारित आदेश दिनांक 30-8-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)09-10/840 दिनांक .26-3-2009 द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को वर्ष 2009-10 में होशंगाबाद जिले में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमित प्रदाय की गई। जिसकी अविध पत्र क्रमांक 5(1)09-10/767 दिनांक 27-3-2010 से दिनांक 30-6-2010 तक, पत्र क्रमांक 5(1)10-11/1982 दिनांक 28-6-2010 से नये संविदाकारों के चयन तक अथवा दिनांक 30-

Lh

9-2010 तक की अवधि के लिए जो भी पहले हो, तक के लिए तथा पत्र क्रमांक 5(1)09-10/2757 दिनांक 28-9-2010 से वर्ष 2010-11 की शेष अविध के लिए बढ़ाई गई थी । जिला आबकारी अधिकारी, होशंगाबाद के प्रतिवेदन के अन्सार जिला होशंगाबाद पर महालेखाकार ऑडिट दल द्वारा निरीक्षण अविध वर्ष 3/2010 से 1/2011 तक मद्यभाण्डागार होशंगाबाद पर रेक्टिफाइड स्प्रिट/देशी मदिरा की भरी बोतलों का संग्रह निर्धारत न्यूनतम स्कंध के अन्सार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा 337 दिवसों में नहीं रखा गया है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया । अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/4444 में दिनांक 30-8-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 60,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही अपीलार्थी कम्पनी द्वारा स्टोरेज मद्यभाण्डागार होशंगाबाद में अविध माह मार्च 2010 से जनवारी 2011 तक कुल 337 दिवसों में रेक्टीफाइड स्प्रिट/देशी मदिरा का निर्धारत न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने से रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से रूपये 84,250/- इस प्रकार कुल रूपये 1,44,250 /- की शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्त्त की गई है ।

- 3/ प्रकरण में सुनवाई के दौरानी अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अतः प्रकरण का निराकरण अपील मेमों में उल्लेखित आधारो एवं शासकीय अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधार व अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । अपील मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-
- (1) The impugned order passed by Excise Commissioner is againest the provisions of law and liable to be set aside.
- (2) It is submitted before this Court that, before passing order Annexure A, no opportunity of hearing has been granted.
- (3) It is submitted before this Court that, the appellant has always kept the amount of stock required to be kept in copliance of country sprit rules. Therefore, at no point of time the appellant is violated Rule 4(4) of Country Sprit Rules.

ne d

ah

- (4) It is submitted before this Court that at no point of time the State Government has suffered any loss on the ground of not maintaining the minimum stock. Therefore, as such no loss has been caused to the State Government. Therefore, the appellant is not required to ray any penalty.
- (5) It is submitted before this Court, that it is not the case of respondent that any point of time, the appellant was not able to provide the country liquire against any demand. Therefore, it is presume but not admitted that at some point of time the quantity has fallen short of the required quantity, the same has not cause any loss or prejudice to the respondent. Therefore, the no penalty is required to pay by the appellant.
- (6) It is submitted before this Court the Board os Revenue in appeal no. 1010-PBR/2011 vide its order dated 25-1-2013 has held that the appellant voluntarily did not maintain the minimum stock and further no loss has ever been cause to the State Ex-chequre. Therefore, in view of the judgment of Board of Revenue, the appellant is not liable pay any amount of minimum stock. Copy of the order is annexed herewith and marked as Annexure B.
- (7) It is submitted before this Court that in the case reported in 2012 RN 152 has held that there is no loss cause to the state revenue then no penalalty can be impossed for non keeping minimum stock.
- (8) It is submitted before this Court that even the State Govt. has challenge the validity of the order of Board of Revenue before Hon'ble High Court by filling W.P. No. 10997/2013 before Principal Seat of this Hon'ble Court at Jabalpur however the write petition preferred by the State Govt. was dismissed by holding that at no point of time. The supply has been interrupted, therefore no loss has been cause to the State Govt. which leads to levy of penalty. Copy of the judgment of Hon'ble High Court is annexed herewith and marked as Annexure-C.

de

(9) It is submitted before this court that, at no point of time there was any willful fault on the part of the appellant for not keeping the minimum stock of country liquor in glass bottle.

It is therefore, humby and respectfully prayed that this Court may kindly be please to allow this appeal and set aside the impugned order dated 30-8-2017 passed by Exise Commissioner in File no. 5(1)2017-18/4444. The appellant has already deposit the mony in compliance of the impugned order, therefore the same may kindly be refunded to the appellant during the pendency of this appeal.

- 4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-
- (1) देशी स्प्रिट के नियम 4(4) जो कि आज्ञापक उपबंध है, के अनुसार-

4. Manufacture, working & control:--

- (4) The licensee shall maintain at the distillery the minimum stock of sprit as prescribe by the Excise Commissioner from time to time.
- (2) इकाई मेसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्रायवेट लिमिटेड रायरू जिला ग्वालियर को पत्र क्रमांक 5(1)09-10/840 दिनांक 26-3-2009 द्वारा अपैल, 2009 से मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए मद्यभाण्डागार होशंगाबाद के लिए सी.एस. 1 लायसेंस प्रदाय किया गया था, जिसके शर्त क्रमांक 3 के अनुसार इकाई को म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) के अनुसार विगत माह 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह रखना अनिवार्य था।
- (3) इकाई यह मासिक पत्रक प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार होशंगाबाद में कुल 337 दिवस विगत माह 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह नहीं रखा गया है।...
- (4) उपरोक्तानुसार इकाई को आबकारी आयुक्त द्वारा पत्र क्रमांक 5(1)/14-15/3225 दिनांक 17-10-2014 प्रेषित करते हुए जवाब मांगा गया, जिस पर इकाई द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए वर्णित किया गया कि मदिरा सप्लाई में कोई कमी नहीं है हैं, अतः वसूली की कार्यवाही न किया जाये।

न किया जास

do

- (5) आबकारी आयुक्त ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अभिलेख के अवलोकन के पश्चात यह तथ्य पाया कि अपीलार्थी द्वारा पत्रक अनुसार लगभग 337 दिवस बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रहनहीं रखा गया है, जो कि म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 का उल्लंघन है और उपरोक्त आधार पर नियम 12(1) के अधीन दण्डनीय होने से 250/- प्रतिदिन के हिसाब से रूपये 84,250/- एवं न्यूतम स्टॉक नहीं रखें जाने से 60,000/- अनियमितता हेतु अधिरोपित कर 1,44,250/- शास्ति अधिरोपित की गई है।
- (5) अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया गया है कि न्यूनतम स्टॉक का भण्डार नहीं किया गया है, जो कि अपीलार्थी के स्वयं की स्वीकारोक्ति है। अपीलार्थी द्वारा अपील में ऐसा कोई तथ्य वर्णित नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि अपीलार्थी द्वारा नियम एवं टेंडर की उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधि विधान के अनुसार होने से एवं उपरोक्त शास्ति सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 एवं म.प्र. देशी स्प्रिट नियम 4(4) का उल्लंघन होने से नियम 12(1) के अनुसार दंडित किया गया है, जो कि उचित एवं न्यायसंगत है।

5/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मेमों में उल्लेखित आधारों एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र मद्यभाण्डागार होशंगाबाद पर अविध वर्ष 03/2010 से 01/2011 कुल 337 दिवस रेक्टीफाइड स्प्रिट/देशी मदिरा की भरी बोतलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखा गया है, जबिक म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) के अनुसार अपीलार्थी को स्टोरेज मद्यभाण्डागार में रेक्टीफाइड स्प्रिट 7 दिन एवं भरी हुई बोतलबंद मदिरा विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य रखना अनिवार्य है । अपीलार्थी द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखने से, भले ही शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु अपीलार्थी द्वारा विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है, जिसका पालन अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया है, अतः अपीलार्थी का उक्त कृत्य दण्डनीय है । उपरोक्त स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर, उत्तर प्राप्त किया गया है, जिसमें आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी का उत्तर प्राप्त कीया गया है, जिसमें आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी का उत्तर प्राप्त में अंवरा गया है । अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी का उत्तर प्राप्त कीया गया है । अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपोलार्थी का उत्तर प्राप्त कीया गया है । अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपोलार्थी का

dest

ah

स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में होशंगाबाद मद्रयभाण्डागार से सम्बद्ध देशी मदिरा फुटकर बिकी दुकानों के ठेकेदारों को मांग अनुसार बोतलबंद देशी मदिरा प्रदाय में विलम्ब हुआ है। मद्रयभाण्डागारों पर देशी मदिरा की भरी हुई बोतलों का निर्धारित न्यूनतम संग्रह रखना विहित वैधानिक व्यवस्था है एवं आसवक इसका पालन करने के लिए बाध्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से अपीलार्थी का उक्त कृत्य नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह वैधानिक दृष्टि से उचित होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-8-2017 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनीज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर